भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं0 228*

22 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

एएमआरयूटी (अमृत) योजना के तहत धनराशि साझा करना

***228. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृ□ा करेंगे कि:

(क) अटल नवीकरण और शहरी □रिवर्तन मिशन (अमृत) योजना तथा इसके संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच धनराशि की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) झारखंड के शहरों में जहां अमृत योजना चल रही है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) झारखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत □रियोजना और जिला-वार धनराशि के आवंटन और उसके उ□योग का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जिला और राज्य स्तर □र योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और □र्यवेक्षण के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश मौजूद हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए गठित निगरानी समितियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और □िछले □ांच वर्षों के दौरान ऐसी समितियों की कितनी बैठकें हुई हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री हरदी□ सिंह □ुरी)

(क) से (ङ): विवरण सभा □टल □र रख दिया गया है।

****

विवरण

"अमृत योजना के तहत धन राशि साझा करना" के संबंध में दिनांक 22 दिसंबर, 2022 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *228 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क): देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 500 चयनित शहरों में 50,000 करोड़ रु. के केंद्रीय □रिव्यय से 05 वर्ष की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए 25 जून 2015 को अटल नवीकरण और शहरी □रिवर्तन मिशन (अमृत) की शुरुआत की गई थी। मिशन में जल आ□ूर्ति के क्षेत्रों में बुनियादी शहरी अवसंरचना; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; वर्षा जल निकासी; गैर-मोटर चालित शहरी □रिवहन और हरित स्थानों और □ार्कों के विकास □र बल दिया जाता है। मिशन में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के शासन और यूएलबी के लिए क्षमता निर्माण कार्यकला□ों में सुधार करने के लिए 11 सुधारों को क्रियान्वित किया गया है।

अमृत के तहत, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल स्वीकृत योजना आकार 77,640 करोड़ रु. है, जिसमें 35,990 करोड़ रु. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है। इसके माध्यम से, मिशन में जला□ूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने के लिए 139 लाख जल नल कनेक्शन और अमृत शहरों में □र्याप्त सीवरेज नेटवर्क कवरेज बढ़ाने के लिए 145 लाख सीवर कनेक्शन प्रदान करने की □रिकल□ना की गई है। अमृत को अब 01 अक्टूबर 2021 को शुरू किए गए अटल नवीकरण शहरी □रिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के तहत शामिल किया गया है। तदनुसार, अमृत की सभी चल रही और □ात्र □रियोजनाओं का 31 मार्च 2023 तक केंद्रीय वित्त □ोषण किया जाएगा।

अमृत □रियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्यों के बीच धन राशि साझा □द्धति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी**	**क्षेत्र**	**जनसंख्या की दृष्टि से अमृत शहर की श्रेणी (2011 की जनगणना के अनुसार)**	**□रियोजना लागत में अधिकतम केन्द्रीय हिस्सा***	**□रियोजना लागत में राज्य /यूएलबी/अन्य का हिस्सा**
i.	सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए	सभी क्षेत्र	जनसंख्या को ध्यान में रखे बिना सभी अमृत शहरों के लिए	100%	-
ii.	08 □ूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए	सभी क्षेत्र	जनसंख्या को ध्यान में रखे बिना सभी अमृत शहरों के लिए	90%	10%

iii.	शेष सभी राज्य	जल आ□र्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी और शहरी □रिवहन (गैर-मोटर चालित)	10 लाख तक की आबादी वाले शहर	50%	50%
.			10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर	33.33%	66.67%
V.		□ार्क/हरित स्थान	जनसंख्या को ध्यान में रखे बिना सभी अमृत शहरों के लिए	50%	50%

*अधिकतम प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता तक सीमित।

(ख): झारखंड राज्य में अमृत के तहत चयनित 7 शहरों की सूची निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**शहर का नाम**
1	आदित्य□ुर
2	चास
3	देवघर
4	धनबाद
5	गिरिडीह
6	हजारीबाग
7	रांची

(ग): अमृत के तहत, केन्द्रीय धन राशि का आवंटन □रियोजना या जिलेवार नहीं किया जाता है। झारखंड राज्य के लिए, सं□ूर्ण मिशन अवधि के लिए 566 करोड़ रु. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता सहित 1,246 करोड़ रु. की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएए□ी) को मंजूरी दी गई है। अब तक, मिशन के तहत □रियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय धन राशि के रू□ में राज्य को 552 करोड़ रु. जारी किए गए हैं, जिनमें से राज्य सरकार ने 386 करोड़ रु. के उ□योगिता प्रमाण □त्र प्रस्तुत किए हैं। दी गई सूचना के अनुसार झारखंड राज्य में अमृत के तहत शुरू की गई □रियोजनाओं और व्यय का जिले-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ) से (ङ): अमृत के तहत, राज्यों को अमृत मिशन के व्या□क ढांचे के भीतर □रियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, स्वीकृत और कार्यान्वित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, राज्य स्तर □र योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और □र्यवेक्षण करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएच□ीएससी) के गठन के लिए अमृत दिशा-निर्देशों में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा राज्य स्तर □र योजना की निगरानी और □र्यवेक्षण करने के लिए

एसएच□ीएससी को तकनीकी सहायता देने के लिए सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) भी मौजूद है। जिला स्तर □र अमृत □रियोजनाओं की निगरानी के लिए, अमृत दिशा-निर्देश में जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी समिति (डीएलआरएमसी) के गठन के प्रावधान भी किए गए हैं, जिसकी सह-अध्यक्षता जिला कलेक्टर के साथ संसद सदस्य करेंगे। राज्य स्तर □र सभी विकास कार्यों की निगरानी करने के लिए जिला स्तर □र संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति नामक एक समिति का गठन किया गया है। समिति तिमाही और मासिक आधार □र अमृत □रियोजनाओं की समीक्षा भी करती है।

अमृत के तहत, □िछले □ांच वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान झारखंड सरकार द्वारा एसएच□ीएससी की 09 बैठकें, एसएलटीसी की 11 बैठकें और जिला स्तर की 49 बैठकें (ब्यौरा अनुलग्नक-।। में दिया गया है) आयोजित की जा चुकी हैं।

******

"अमृत योजना के तहत धन राशि साझा करना" के संबंध में दिनांक 22 दिसंबर, 2022 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *228 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

झारखंड राज्य में अमृत के तहत निर्माणाधीन रियोजनाओं का जिले-वार विवरण

क्र.सं.	ज़िला	शहर	निर्माणाधीन रियोजना		
			कुल संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)	संचयी कुल व्यय* (करोड़ रु. में)
1	आदित्यपुर	आदित्यपुर	13	548.41	307.13
2	चास	चास	10	142.26	69.08
3	देवघर	देवघर	6	13.98	6.39
4	धनबाद	धनबाद	6	164.31	55
5	गिरिडीह	गिरिडीह	7	46.18	36.53
6	हजारीबाग	हजारीबाग	9	428.41	232.89
7	रांची	रांची	8	271.51	155.97
कुल योग			59	1615.06	862.99

*केंद्रीय हिस्सा और राज्य/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/अन्य एजेंसियों के हिस्से जैसा लागू हो सहित निर्माणाधीन रियोजनाओं पर अब तक किया गया कुल संचयी व्यय।

"अमृत योजना के तहत धन राशि साझा करना" के संबंध में दिनांक 22 दिसंबर, 2022 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *228 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।।

झारखंड राज्य में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठकों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	शहरी स्थानीय निकाय	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक की तारीख
1	रांची	रांची नगर निगम	7	15.01.2018, 06.06.2018, 10.09.2018, 29.12.2018, 04.10.2019, 19.08.2021, 20.08.2022
2	बोकारो	चास नगर निगम	7	06.05.2017, 14.09.2017, 28.06.2018, 27.04.2018, 08.12.2018, 07.08.2021, 08.10.2022
3	हज़ारीबाग	हजारीबाग नगर निगम	7	09.10.2018, 08.08.2019, 12.09.2020, 13.03.2021, 24.07.2021, 10.01.2022, 22.06.2022
4	धनबाद	धनबाद नगर निगम	6	10.09.2016, 25.03.2017, 10.07.2018, 12.02.2018, 23.09.2021, 05.03.2022
5	गिरिडीह	गिरिडीह नगर निगम	7	07.09.2017, 10.03.2018, 26.03.2018, 10.11.2018, 05.09.2019, 25.09.2021, 05.05.2022
6	देवघर	देवघर नगर निगम	8	13.08.2016, 07.05.2017, 27.08.2017, 10.10.2019, 20.08.2020, 03.10.2020, 19.02.2021, 02.04.2022
7	सरायकेला	सरायकेला नगर निगम	7	21.08.2017, 20.08.2018, 18.04.2018, 21.09.2019, 11.01.2021, 21.08.2021, 26.08.2022

*****